न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 06/2017

उनवान मुकदमा

1. रकमा उर्फ रकमलाल पिता स्व.कमजी मईडा ,जाति भील ,आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम रूजिया, तहसील छोटी सरवन ,जिला बांसवाडा राजस्थान।
2. रामा पिता स्व.कमजी मईडा, जाति भील ,आयु 45 वर्ष निवासी ग्रम रूजिया,तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
3. सुखा पिता स्व.कमजी मईडा, जाति भील ,आयु 40 वर्ष निवासी ग्रम रूजिया,तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
4. श्रीमती गला पत्नि स्व.कमजी मईडा, जाति भील ,आयु 75 वर्ष निवासी ग्रम रूजिया,तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
5. श्री नानका पिता स्व.नगजी मईडा, जाति भील ,आयु 45 वर्ष निवासी ग्रम रूजिया,तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
6. श्री बदरू पिता स्व.गौतमा मईडा, जाति भील ,आयु 60 वर्ष निवासी ग्रम रूजिया, तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
7. श्री कसन पिता स्व.कचरू मईडा, जाति भील ,आयु वयस्क निवासी ग्रम रूजिया, तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान ।
8. श्रीमती राजा पत्नि कचरू जाति भील ,आयु वयस्क निवासी ग्रम रूजिया ,तहसील छोटी सरवन,जिला बांसवाडा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 श्रीमती भावजी पिता स्व. देवजी, जाति भील ,आयु 50 वर्ष वयस्क निवासी ग्रम रूजिया, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा राजस्थान

2 श्री लक्ष्मण पिता स्व.देवजी,जाति भील 45 वर्ष निवासी ग्राम रूजिया तहसील छोटी सरवन ,जिला बांसवाडा राजस्थान

3 श्री शम्भुडा पिता स्व.देवजी, जाति भील 40 वर्ष निवासी ग्राम रूजिया तहसील छोटी सरवन ,जिला बांसवाडा राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

4 श्रीमती बदली पत्नि स्व.देवजी, जाति भील 68 वर्ष निवासी ग्राम रूजिया तहसील छोटी सरवन ,जिला बांसवाडा राजस्थान

5 श्रीमान् तहसीलदार छोटी सरवन ,जिला बांसवाडा राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 24.12.2019

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 , 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया है, जो वाद ठोस आधारो पर आधारित होकर प्रार्थी को उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है । प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 22 नया ,20 पुराना के सर्वे नम्बर 8 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा किस्म का 1 लगानी रू. 9.86 ,सर्वे नम्बर 16 रकबा 8 बीघा,किस्म का 2 का 1,बीड ,लगानी 3.28 रूप्या,कुल खेत नंग 2 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा,कुल लगानी 15.13 रूप्या,वाके ग्रम रूरजिया, पटवार हल्का हरनाथपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा में स्थित है । जिस पर प्रार्थीगण अपने पिता व दादा के समय से कब्जा काश्त होकर अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कमा रहे है तथा मौसमी फसल प्राप्त कर अपने हिस्से का लगान अदा कर रहे है तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि में चना की फसल कर रखी है । प्राथीगण व अप्रार्थीगण की वंशावली में मूल पुरूष केहरेंग पुत्र तोलिया है जिसकी तीन संतान में गौतमा देवजी ,कमजी जिनकी मृत्यु हो गई है । गौतमा के पुत्र नगजी व कचरू (फौत), मसरू (लाऔलाद फौत) बदरू जीवीत है। स्व नगजी का पुत्र नानका है,,कचरू का पुत्र कसन व श्रीमती राजा है । स्व.देवजी के पांच संतान में भावजी,लक्ष्मण,शम्भुडा,श्रीमती बदली है व कमजी के पुत्र रकमा,राम,सुखा,श्रीमती गलाब है । मूल पुरूष गौतमा ,देवजी,कमजी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि सर्वे नम्बर 8,रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा,सर्वे नम्ब्र 16 रकबा 8 बीघा सर्वे नम्बर 46 रकबा 5 बीघा, कुल खेत नंग 3 कुल रबा 26 बीघा 4 बिस्वा थी,जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति स्व. देवजी पुत्र केहरेंग द्वारा सर्वे नम्बर 46 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि का बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय–पत्र संख्या बुक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 107–108 दिनांक 02.02.1963 के द्वारा मंगला पुत्र मावजी उर्फ नागरजी को कर दिया है व मंगला पुत्र मावजी उर्फ नागरजी के नाम नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 03.04.1963 खोला गया है तथा वर्तमान में 46 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि को बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय–पत्र संख्या बुक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 139–141 दिनांक 09.06.1970 को हवजी पिता थावरा को कर दिया है व हाजी पिता थावरा के नाम नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 11.01.1976 खेला गया है तथा वर्तमान में सर्वे नम्बर 8

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

रकबा 2 बीघा कृषि भूमि हवजी पिता थावरा के नाम दर्ज रेकार्ड है मूल पूरूष गौतमा,देवजी,कमजी को कुल कृषि भूमि 26 बीघा 4 बिस्वा खातेनामे थी , जिसके अनुसार प्रत्येक खातेदार को 8 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त होती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति स्व.देवजी पिता केहरेंग द्वारा 7 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया है तथा अब मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4, 1 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि के ही हकदार है ।उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने व प्रार्थीगण के नाम अलग से खाता कायम नहीं होने के कारण प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन टकराव की स्थिति बनी रहती है ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन भिजवाये गये तामिल बाद लौटे जो पत्रावली में संलग्न है ।विवरण दस्तावेज व फरिकेन जिन्होने व जिनके हम में दस्तावेज पेश किये गये सम्वत 2072–2075जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)प्रतिलिपि सलग्न है। जिसमें नानका पिता नगजी,बदरू पिता गोतमा,कसन पिता कचरू,राजा बेवा कचरू व भावजी लक्ष्मण ,शम्भुडा पिता देवजी व बदली बेवा देवजी व रकमलाल रामा सुखा पिता कमजी व गलाब बेवा कमजी भी सा.दैह खातेदार है ।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सूनी गई प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गहनता से मनन तथा पत्रावली में प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया दोनो पक्षो को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने आदेश दिये जाते है ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया प्रकरण फैसल में शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
(पर्वतसिंह चुण्डावत) (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा